उत्तर प्रदेश शासन
कार्मिक अनुभाग-4
संख्या-1/2021/527/सामान्य-4-2021-303/2020
लखनऊ:: दिनांक:: 09 अप्रैल 2021

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

विषयः- सरकारी कार्यालयों में कोरोना वायरस (कोविड-19) के सम्बन्ध में कार्य की व्यवस्था।

उत्तर प्रदेश में कोरोना प्रसाद को रोकने के लिए राज्य सरकार के स्तर से यह निर्णय लिया गया है कि जनपद लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर नगर एवं वाराणसी स्थित विभिन्न सरकारी कार्यालयों एवं उत्तर प्रदेश सचिवालय, विधान परिषद सचिवालय, विधान सभा सचिवालय तथा विभिन्न निदेशालायों में कार्यरत समूह-'ख', समूह-'ग' एवं समूह- 'घ' के तैनात 50 प्रतिशत कार्मिक कार्यालयों में उपस्थित हों और शेष 50 प्रतिशत कार्मिकों को घर से काम करने का निर्देश दिया जाय ।

1- सभी विभागाध्यक्ष एवं उक्त जनपदो के जिलाधिकारी इस प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक दिन कार्यालयों में समूह-'ख', समूह-'ग' एवं समूह- 'घ' के तैनात 50 प्रतिशत कार्मिकों की उपस्थिति सुनिश्चित हो तथा शेष 50 प्रतिशत घर से ही कार्य निष्पादित करें। इसके लिये कार्मिकों का रोस्टर तय किया जायेगा। इस संबंध में यह परामर्श दिया जाता है कि वह अपने यहां कार्यरत समूह-'ख', समूह-'ग' एवं समूह- 'घ' के कर्मचारियों का साप्ताहिक रोस्टर इस प्रकार बना लें कि ऐसे कर्मी अल्टरनेट (वैकल्पिक) सप्ताह में कार्यालय में आयें। कार्यालय आने वाले कार्मिकों का चिन्हीकरण करते समय घर से दूरी एवं कार्यालय आने में उपयोग किये जाने वाले स्वयं के साधनों का भी ध्यान रखा जायेगा।

2- रोस्टर के अनुसार घर से कार्य सम्पादित कर रहे कार्मिक इस अवधि में अपने मोबाइल एवं इलेक्ट्रानिक साधनों के माध्यम से कार्यालय के सम्पर्क में रहेंगे, उन्हें आवश्यकता पड़ने पर बुलाया जा सकेगा ।

3- यह दिशा-निर्देश उन कर्मचारियों पर लागू नहीं होगें जो ऐसी आकस्मिक एवं आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं जो कोविड-19 की रोकथाम में प्रत्यक्ष भूमिका निभा रहे हैं।

4- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें। इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव।

http://upshasanadesh.gov.in

संख्या-527/सामान्य-का-4-2021-303/2020(1),तद्दिनांक,

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- अपर प्रमुख सचिव/प्रमुख सचिव, विधान सभा एवं विधान परिषद्, उ0प्र0।
3- जिलाधिकारी, लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर नगर एवं वाराणसी।
4- समस्त विभागाध्यक्ष उ0प्र0।
5- निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,
अरूण कुमार दूबे
विशेष सचिव।

http//up shasanadesh.gov.in